उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-7

संख्या-3745 /15-7-10(62)/1985

लखनऊ: दिनांक: 9 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1921) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 16-छ की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विनियम के अध्याय तीन के विनियम 55, 58, 59/60 और 61 निम्न प्रकार उपान्तरित किये जायेंगे :-

उपान्तरण

उपर्युक्त विनियमों में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
55- किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई स्थायी अध्यापक जो किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, अध्यापक के मामले में संस्था के प्रधान को और प्रधानाचार्य के मामले में संस्था के प्रबन्धक को, उस सम्भाग के जिसमें उसकी संस्था स्थित है, सम्भागीय उप निदेशक को सम्बोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । आवेदन पत्र में संस्था का नाम, स्थान और जिले का नाम होगा जहाँ स्थानान्तरण वांछित है ।	55- किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई स्थायी अध्यापक जो किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, अध्यापक के मामले में संस्था के प्रधान को और प्रधानाचार्य के मामले में संस्था के प्रबन्धक को, उस सम्भाग के जिसमें उसकी संस्था स्थित है, सम्भागीय संयुक्त निदेशक को सम्बोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । आवेदन पत्र में संस्था का नाम, स्थान और जिले का नाम होगा जहाँ स्थानान्तरण वांछित है ।

.....2/-

प्रतिबन्ध यह है कि प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी में कार्यरत अध्यापक का स्थानान्तरण सम्भाग के भीतर जिसमें वह कार्य कर रहा है, किया जा सकता है, और प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक और संस्था के प्रधान का स्थानान्तरण सम्भाग के बाहर भी किया जा सकता है ।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी अध्यापक या संस्था के प्रधान का स्थानान्तरण उसके गृह जिले में नहीं किया जा सकता है ।

58- निरीक्षक विनियम 57 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र को इस प्रयोजन के लिए रखे गये, रजिस्टर में दर्ज करायेगा और उसे जहाँ वह संस्था भी जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहाँ वह ऐसे प्रबन्धतंत्र से परामर्श करके और उसकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात अपनी संस्तुति के साथ अपने सम्भाग के सम्भागीय उप निदेशक को अग्रसारित करेगा ।

59-(1) विनियम 58 के अधीन निरीक्षक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सम्भागीय उप निदेशक इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और :-

58- निरीक्षक विनियम 57 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र को इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेगा और उसे जहाँ वह संस्था भी, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहाँ वह ऐसे प्रबन्धतंत्र से परामर्श करके और उसकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात अपनी संस्तुति के साथ अपने सम्भाग के सम्भागीय संयुक्त निदेशक को अग्रसारित करेगा ।

59-(1) विनियम 58 के अधीन निरीक्षक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सम्भागीय संयुक्त निदेशक इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और :

....3:-

OMR ANSWER SHEET

।क। प्रशिक्षित स्नातक।एल0टी0। श्रेणी के अध्यापक के मामले में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा -

।एक। यदि संस्था के प्रबन्धतंत्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उपलब्ध है, तो उप खण्ड ।तीन। के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

।दो। यदि वह संस्था जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उसकी अधिकारिता के भीतर के किसी जिले में स्थित है, तो संबंधित निरीक्षक के माध्यम से संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श करेगा और संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर उप खण्ड ।तीन। के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

।तीन। निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा-

क-सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक — अध्यक्ष
ख-सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक — सदस्य
ग-संबंधित जिले का निरीक्षक — सदस्य

।ख। प्रवक्ता श्रेणी में किसी अध्यापक या किसी संस्था के प्रधान के आवेदन पत्र के मामले में-

।एक। आवेदन पत्र को अपर शिक्षा निदेशक ।माध्यमिक। को अग्रसारित करेगा, यदि स्थानान्तरण किसी अन्य सम्भाग में स्थित संस्था में चाहा गया हो,

।दो। यदि संस्था सम्भाग के भीतर स्थित हो तो संबंधित निरीक्षक के माध्यम से संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श करेगा जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को अपर निदेशक, शिक्षा ।माध्यमिक। को अग्रसारित करेगा ।

।क। प्रशिक्षित स्नातक ।एल0टी0। श्रेणी के अध्यापक के मामले में यदि स्थानान्तरण सम्भाग के भीतर चाहा गया है निम्नलिखित कार्यवाही करेगा -

।एक। यदि संस्था के प्रबन्धतंत्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उपलब्ध है, तो उप खण्ड ।तीन। के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा,

।दो। यदि वह संस्था जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उसकी अधिकारिता के भीतर के किसी जिले में स्थित है, तो संबंधित निरीक्षक के माध्यम से संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श करेगा और संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर उप खण्ड ।तीन। के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा,

।तीन। निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा -

क-सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक — अध्यक्ष
ख-सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ।माध्यमिक। — सदस्य
ग-सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक ।बेसिक। — सदस्य

।कक। प्रशिक्षित स्नातक ।एल0टी0। श्रेणी के अध्यापक के किसी आवेदन पत्र के मामले में, यदि स्थानान्तरण सम्भाग के बाहर चाहा गया है, सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आवेदन पत्र को अपर शिक्षा निदेशक ।माध्यमिक। को अग्रसारित करेगा ।

।ख। प्रवक्ता श्रेणी में किसी अध्यापक या किसी संस्था के प्रधान के आवेदन पत्र के मामले में -

....4/-

(2) उप विनियम (1) के उप खण्ड (ख) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करवायेगा, और

(क) यदि संस्था की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है तो उप खण्ड (ग) के अधीन गठित की गई समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ख) यदि वह संस्था जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, किसी अन्य सम्भाग में स्थित है तो संबंधित उप निदेशक के माध्यम से संस्था के प्रबन्ध तन्त्र से परामर्श कर सकता है और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर उप खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा -

(ग) निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा -

क- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) - अध्यक्ष

ख- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) सदस्य

ग- संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) सदस्य

(3) उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन जारी किया गया आदेश प्रबन्धतंत्र का आदेश होगा और अन्तिम होगा ।

(एक) आवेदन पत्र को अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को अग्रसारित करेगा, यदि स्थानान्तरण किसी अन्य सम्भाग में स्थित संस्था में चाहा गया हो,

(दो) यदि संस्था सम्भाग के भीतर स्थित हो तो संबंधित निरीक्षक के माध्यम से संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श करेगा जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को अपर निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) को अग्रसारित करेगा ।

(2) उप विनियम (1) के उप खण्ड (क) और (ख) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करवायेगा, और

(क) यदि संस्था की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है तो उप खण्ड (ग) के अधीन गठित की गई समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ख) यदि वह संस्था जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, किसी अन्य सम्भाग में स्थित है तो संबंधित उप उप निदेशक के माध्यम से संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श कर सकता है और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर उप खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ग) निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा -

क-अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)-अध्यक्ष

ख-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) -सदस्य

ग-संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) -सदस्य

60- एक संस्था से दूसरी संस्था में अध्यापक के स्थानान्तरण के एक मास के भीतर पूर्ववर्ती संस्था का प्रबन्धक यथा-स्थिति संबंधित निरीक्षक या सम्भागीय उप निदेशक को सूचना देते हुए चरित्र पंजी, अवकाश का लेखा, भविष्य निधि लेखा, सामूहिक बीमा लेखा और अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र भेजेगा ।

61- ॥1॥ स्थानान्तरित अध्यापक यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा । फिर भी उसे 160 किलोमीटर के लिए एक दिन की दर से यात्रा समय जो अधिकतम तीन दिन तक होगा स्वीकृत किया जायगा यात्रा समय के वेतन का भुगतान किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उस संस्था द्वारा किया जायेगा जहाँ वह स्थानान्तरण होने पर कार्य ग्रहण करेगा ।

॥2॥ इस अध्याय के अधीन स्थानान्तरित अध्यापक -

॥क॥ उस संस्था का कर्मचारी हो जायेगा जहाँ वह स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जब तक कि सम्यक् रूप से उन्हें परिवर्तित न कर दिया जाय, वही होंगी जिनके लिए वह यदि स्थानान्तरित न किया गया होता हकदार होता ।

॥ख॥ अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को संस्था में उसी सम्वर्ग और श्रेणी में कार्यरत अन्तिम अध्यापक से कनिष्ठ हो जायेगा ।

॥3॥ उप विनियम ॥1॥ या उप विनियम॥2॥ के अधीन जारी किया गया आदेश प्रबन्धतंत्र का आदेश होगा और अन्तिम होगा ।

60- एक संस्था से दूसरी संस्था में अध्यापक के स्थानान्तरण के एक मास के भीतर पूर्ववर्ती संस्था का प्रबन्धक यथास्थिति संबंधित निरीक्षक या सम्भागीय संयुक्त निदेशक को सूचना देते हुए चरित्र पंजी, अवकाश का लेखा, भविष्य निधि लेखा, सामूहिक बीमा लेखा और अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र भेजेगा ।

61- ॥1॥ स्थानान्तरित अध्यापक यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा । फिर भी उसे 160 किलोमीटर के लिए एक दिन की दर से यात्रा समय जो अधिकतम तीन दिन तक होगा स्वीकृत किया जायेगा यात्रा समय के वेतन का भुगतान किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उस संस्था द्वारा किया जायेगा जहाँ, वह स्थानान्तरण होने पर कार्य ग्रहण करेगा ।

॥2॥ इस अध्याय के अधीन स्थानान्तरित अध्यापक-

॥क॥ उस संस्था का कर्मचारी हो जायेगा जहाँ वह स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जब तक कि सम्यक् रूप से उन्हें परिवर्तित न कर दिया जाय, वही होंगी जिनके लिए वह यदि स्थानान्तरित न किया गया होता हकदार होता ।

॥ख॥ अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को संस्था में उसी सम्वर्ग और श्रेणी में कार्यरत अन्तिम अध्यापक से कनिष्ठ हो जायेगा ।

(ग) उप खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुपालन में वह उस संस्था में जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवाओं के लिए समस्त लाभों का हकदार होगा और उस संस्था में, जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवा उस संस्था में जिसमें वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवा समझी जायेगी ।

टिप्पणी :- (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था के संबंध में प्रबन्धतंत्र का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र की समिति से या उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसमें उस संस्था का प्रबन्ध करने और उसके कार्यकलापों का संचालन करने की शक्ति निहित की गई हो ।

(2) स्थानान्तरण किसी एक सहायता प्राप्त संस्था से दूसरी सहायता प्राप्त संस्था में और किसी एक असहायता प्राप्त संस्था से दूसरी असहायता प्राप्त संस्था में ही सम्भव हो सकेगा ।

(ग) उप खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुपालन में वह उस संस्था में जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवाओं के लिए समस्त लाभों का हकदार होगा और उस संस्था में, जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवा उस संस्था में जिसमें वह स्थानान्तरित किया गया है, की गई सेवा समझी जायेगी ।

टिप्पणी :- (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था के संबंध में प्रबन्धतंत्र का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र की समिति से या उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसमें उस संस्था का प्रबन्ध करने और उसके कार्यकलापों का संचालन करने की शक्ति निहित की गई हो ।

(2) स्थानान्तरण किसी एक सहायता प्राप्त संस्था से दूसरी सहायता प्राप्त संस्था में और किसी एक असहायता प्राप्त संस्था से दूसरी असहायता प्राप्त संस्था में ही सम्भव हो सकेगा ।

(3) किसी आरक्षित श्रेणी के किसी अध्यापक के स्थानान्तरण के परिणाम-स्वरूप होने वाली रिक्ति, उसी आरक्षित श्रेणी, जिससे स्थानान्तरित अध्यापक का संबंध हो, के किसी व्यक्ति द्वारा भरी जायेगी ।

आज्ञा से,

(शेखर अग्रवाल)
सचिव (माध्यमिक)